राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (N-170) अलेसे– I/ 1377 दिनांकः– 07.03.18

कार्यालय आदेश

पुलिस आयुक्त, जिला जोधपुर (पूर्व), जोधपुर के पत्रांक 2188–92 दिनांक 21.02.2018 के द्वारा विभाग को सूचित किया गया है कि सहायक पुलिस आयुक्त, मण्डोर जोधपुर (पूर्व), जोधपुर में स्पेशल रिपोर्ट/दुराचरण रिपोर्ट संख्या 012 दिनांक 21.02.2018 (प्रकरण संख्या 156/2017) धारा 504 भादसं व 3(1)(आर)(एस) एससी/एसटी एक्ट में दर्ज होने के परिणामस्वरूप श्री नन्दलाल व्यास सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I (लिंक नम्बर 1867) हाल पदस्थापित कार्यालय प्रभारी भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, जोधपुर को दिनाक 17.02.2018 को समय 12.55 पी.एम. को गिरफतार कर माननीय विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति/जनजाति मामलात, जोधपुर महानगर द्वारा जमानत स्वीकार करने पर दिंनाक 19.02.2018 को समय 6.30 पी.एम. पर केन्द्रीय कारागृह जोधपुर से रिहा किया गया ।

अतः न्यायिक अभिरक्षा में 48 घन्टे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखे जाने के कारण श्री नन्द लाल व्यास, को राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम 1958 के नियम 13(2) में प्रदत शक्तियों के अनुसरण में गिरफ्तार किये जाने की दिंनाक 17.02.2018 से निलम्बित किया हुआ माना जाकर इनका मुख्यालय कोषालय, पाली किया जाता है । श्री नन्दलाल व्यास को निलम्बन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा ।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क) (N-170) अलेसे– I/ 1377 दिनांकः– 07-03-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राज. जयपुर
4. प्रभारी भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, जोधपुर
5. कोषाधिकारी, जोधपुर
6. उपनिदेशक(एसीपी), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में Updation करने हेतु।
7. श्री नन्दलाल व्यास, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I (निलम्बित) द्वारा कार्यालय भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, जोधपुर
8. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक
9. जॉच शाखा/एसीआर शाखा/डी.पी.सी. शाखा/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)